

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-31/2011/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03-09-2011

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

विषय:-संविदा शाला शिक्षकों के मासिक संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि करने के संबंध में।

-00-


राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों यथा पंचायत/नगरीय निकाय के अधीन कार्यरत संविदा शाला शिक्षक के मासिक संविदा पारिश्रमिक को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.	संविदा शाला शिक्षक की श्रेणी	मासिक संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत)
1	2	3
1.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1	9000
2.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2	7000
3.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3	5000

संशोधित मासिक संविदा पारिश्रमिक 01 नवम्बर 2011 से देय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक सीआर 631/चार/बी-3, दिनांक 10.8.2011 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के०आर० उपाध्याय)


अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 1-31/2011/20-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03-09-2011

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर
5. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
6. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
9. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र. भोपाल


अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग